

## अभिनिर्णय

1. वाद संख्या : 39/2014-15
2. ग्राम : गड़मा कोईरीपुर।
3. परगना व तहसील : चांदा, लम्मुआ
4. जनपद : सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश)
5. अधिग्रहण हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल : 6.0121 हे०
6. भूमि अधिग्रहण का प्रयोजन : राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 56  
(सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के  
134.700 कि०मी० से 178.300  
कि०मी० तक चौड़ा करने/चार लेन बनाने  
आदि हेतु।
7. क्या जमींदारी विनाश क्षेत्र लागू है? : हाँ।
8. अध्याप्ति निकाय का नाम : सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय  
(भारत सरकार) द्वारा भारतीय राष्ट्रीय  
राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई  
वाराणसी।
9. राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 : अधिसूचना संख्या-क.अ.2648(अ)  
के अन्तर्गत धारा 3A की अधिसूचना  
प्रकाशन का दिनांक भारत का राजपत्र असाधारण,  
भाग II-खण्ड 3- उपखण्ड (ii)  
नई दिल्ली, दिनांक 23.10.2012
10. धारा 3A की उपधारा (3) के : 1. अमर उजाला  
प्राविधानानुसार स्थानीय समाचार  
पत्रों में प्रकाशन का दिनांक दिनांक 12.12.2012  
2. हिन्दुस्तान  
दिनांक 12.12.2012
11. उक्त अधिनियम की धारा 3D : अधिसूचना सं०-क.अ.3219 (अ)  
की उपधारा (1) के अन्तर्गत  
अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि भारत का राजपत्र असाधारण,  
भाग II- खण्ड 3- उपखण्ड (ii)  
नई दिल्ली, दिनांक 22.10.2013
12. उक्त अधिनियम की धारा 3G : 1.हिन्दुस्तान  
की उपधारा 3 के अन्तर्गत स्थानीय  
समाचार पत्रों में प्रकाशन की तिथि दिनांक 14.11.2013  
2. टाइम्स ऑफ इण्डिया  
दिनांक 14.11.2013
13. अभिनिर्णय की तिथि : दिनांक ,2015

14. अभिनिर्णय की धनराशि का विवरण:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	2,87,03,750.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०)	97,110.00
	भवन आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	1,17,062.00
	<b>योग (रु०)</b>	<b>2,89,17,922.00</b>
	<b>10 प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रु०)</b>	<b>28,91,792.00</b>
	<b>सम्पूर्ण योग (रु०)</b>	<b>3,18,09,714.00</b>

15. अध्याप्ति व्यय की धनराशि (10 प्रतिशत) : रु० 31,80,971.00

16. पूंजीकृत मूल्य की धनराशि (मालगुजारी का 40 गुना): रु० 217.25×40 =8,690.00

### अभिनिर्णय का औचित्य

भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-गड़मा कोईरीपुर परगना-चांदा व तहसील लम्बुआ में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया। इस प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम-1956 की धारा 3A के अन्तर्गत भारत सरकार का असाधारण राजपत्र, नई दिल्ली में गजट अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 तथा दो समाचार पत्रों 'अमर उजाला' एवं 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 12 दिसम्बर, 2012 को प्रकाशित कराया गया। इस भू-अर्जन प्रस्ताव के सम्बन्ध में ग्राम-गड़मा कोईरीपुर के भू-स्वामियों द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3C के अन्तर्गत छब्बीस (26) आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसका निस्तारण नियमानुसार किया जा चुका है।

राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को इस कार्यालय द्वारा भेजा गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के अन्तर्गत इस ग्राम में 6.0121 हे० भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना भारत का राजपत्र असाधारण में दिनांक 22.10.2013 को प्रकाशित किया गया है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3D के प्रकाशन के उपरान्त इस ग्राम में 6.0121 हे० भूमि अधिग्रहण हेतु दो दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 14.11.2013 को प्रकाशित किया गया है।

उक्त अधिनियम की धारा 3G के अन्तर्गत भू-अर्जन से प्रभावित भू-स्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा प्रतिकर के सम्बन्ध में कोई दावा/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

ग्राम-गडमा कोईरीपुर परगना-चांदा व तहसील लम्भुआ, जनपद-सुलतानपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के (134.700 कि०मी० से 178.300 कि०मी० तक) (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजनार्थ गजट के आधार पर अधिग्रहीत भूमि गाटा संख्या 13 रकबा 0.0056हे०, गाटा संख्या 28 रकबा 0.0423हे०, गाटा संख्या 71 रकबा 0.0240हे०, गाटा संख्या 247 रकबा 0.1090हे०, गाटा संख्या 250 रकबा 0.0164हे०, गाटा संख्या 256 रकबा 0.0250हे०, कुल रकबा 0.2223हे० में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का गजट प्रकाशन हुआ है, में अर्जित रकबे का सरकारी/गांवसभा भूमि का पुर्नग्रहण की कार्यवाही अध्याप्ति निकाय यानि परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी द्वारा की जानी है। संयुक्त सर्वेक्षण के आधार पर गाटा संख्या 259 रकबा 0.0294हे०, गाटा संख्या 39 रकबा 0.039 हे०, गाटा संख्या 261 रकबा 0.0480हे०, गाटा संख्या 17 रकबा 0.2624 हे०, गाटा संख्या 66 रकबा 0.4180 हे०, गाटा संख्या 243 रकबा 0.0520हे० गाटा संख्या 260 रकबा 0.0485हे०, गाटा संख्या 37 रकबा 0.0570हे०, गाटा संख्या 75 रकबा 0.0009हे०, गाटा संख्या 15 रकबा 0.1766हे०, गाटा संख्या 27 रकबा 0.2878हे०, गाटा संख्या 12 रकबा 0.0063हे०, गाटा संख्या 16 रकबा 0.0960हे०, गाटा संख्या 255 रकबा 0.6612हे०, गाटा संख्या 36 रकबा 0.0603हे०, गाटा संख्या 24 रकबा 0.0092हे०, गाटा संख्या 82 रकबा 0.0616हे०, गाटा संख्या 77 रकबा 0.1974हे०, गाटा संख्या 14 रकबा 0.1147हे०, गाटा संख्या 41 रकबा 0.1130हे०, गाटा संख्या 74 रकबा 0.4043हे०, गाटा संख्या 72 रकबा 0.0388हे०, गाटा संख्या 38 रकबा 0.0230हे०, गाटा संख्या 80 रकबा 0.5688हे०, गाटा संख्या 63 रकबा 0.0066हे०, गाटा संख्या 20 रकबा 0.0147हे०, गाटा संख्या 25 रकबा 0.1795हे०, गाटा संख्या 26 रकबा 0.2118हे०, गाटा संख्या 246 रकबा 0.2971हे०, गाटा संख्या 245मिं रकबा 0.0350हे०, गाटा संख्या 245मिं० रकबा 0.0340हे०, गाटा संख्या 245मिं० रकबा 0.0350हे०, गाटा संख्या 245मिं० रकबा 0.0350हे०, गाटा संख्या 245मिं० रकबा 0.0340हे०, गाटा संख्या 245मिं० रकबा 0.0194हे०, गाटा संख्या 245मिं० रकबा 0.0340हे०, गाटा संख्या 244 रकबा 0.2865हे०, गाटा संख्या 248 रकबा 0.0204हे०, गाटा संख्या 256 रकबा 0.0837हे० गाटा संख्या 257मिं० रकबा 0.0364हे०, गाटा संख्या 257मिं० रकबा 0.0364हे०, गाटा संख्या 257मिं० रकबा 0.0366हे०, गाटा संख्या 254 रकबा 0.0002हे० कुल रकबा 5.4226हे० में प्रतिकर की कार्यवाही की जा रही है। भूमि पर सर्वे के उपरान्त बृक्षों की मूल्यांकन आख्या प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वन प्रभाग/जिला उद्यान अधिकारी सुलतानपुर से प्राप्त हुई हैं, जिसका समावेश प्रपत्र नमूना-11 पर विद्यमान है। अर्जित भूमि की वर्तमान बाजार दर ज्ञात करने हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा, 3(A) के प्राविधानों के अन्तर्गत धारा 3(A) की अधिसूचना के अन्तिम प्रकाशन की तिथि 23.10.2012/12.12.2012 से 3 वर्ष पूर्व के अवधि में कोई भी निष्पादित विक्रय पत्र को उपनिबंधक लम्भुआ, सुलतानपुर कार्यालय से क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक एवं तहसीलदार लम्भुआ द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया। सर्वेक्षण के आधार पर अन्य नम्बरों के सम्बन्ध में अध्याप्ति निकाय पुनः कार्यवाही करें। अधिनियम में दिये गये प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण बाजार मूल्य पर किया जाना है, अतएव विज्ञप्ति के तीन वर्ष के पूर्व के विक्रय पत्रों के उपलब्ध न होने के कारण बाजार मूल्य नियत किया जाना विधिसंगत है। चूँकि ग्राम में बाजार भाव से निर्धारण किया जाना उपयुक्त है। अतः जिलाधिकारी स्टाम्प डियुटी रेट के अनुसार रकबा 0.050हे० तक 15,400 व रकबा 0.050 से 0.100हे० तक 6,500 एवं रकबा 0.100हे० से अधिक पर 3,500 यानि 1,54,000, /65,000,00, /35,000,00, के अनुसार निर्धारण किया जाता है। सर्वेक्षण के आधार पर प्राप्त निजी भूमि का सम्पूर्ण रकबा 5.4226 हे० को अभिनिर्णय हेतु सर्वथा औचित्य पूर्ण पाते हुए अभिनिर्णय निर्धारित किया जाता है। निर्धारित दर के आधार पर अर्जित भूमि की प्रगणना निम्नवत है:-

1	भूमि के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	2,87,03,750.00
2	परिसम्पत्तियों का प्रतिकर	
	वृक्षों का प्रतिकर धनराशि (रु०)	97,110.00
	भवनों आदि निर्माण के प्रतिकर की धनराशि (रु०)	1,17,062.00
	योग (रु०)	<b>2,89,17,922.00</b>
10	प्रतिशत अतरिक्त धनराशि (रु०)	28,91,792.00
	सम्पूर्ण योग (रु०)	<b>3,18,09,714.00</b>

अ

तएव उपरोक्त निर्धारित दर के आधार पर सर्वेक्षण के आधार पर 5.4226 हे० अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु० 2,87,03,750.00 होता है तथा परिसम्पत्तियों के रूप में भवनों का मूल्यांकन रु० 1,17,062.00 है तथा वृक्षों की मूल्यांकन आख्या 97,110.00 होता है। इस निर्धारित धनराशि पर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3G (2) के अनुसार 10 प्रतिशत की दर से अतरिक्त धनराशि रु० 28,91,792.00 देय होगी। इस प्रकार कुल अर्जित भूमि की प्रतिकर धनराशि रु० **3,18,09,714.00** (रु० तीन करोड़, अठ्ठारह लाख, नौ हजार, सात सौ, चौदह मात्र) निर्धारित किया जाता है।

**अध्याप्ति व्यय—** कुल अभिनिर्णीत धनराशि रु० **3,18,09,714.00** पर 10 प्रतिशत की दर से अध्याप्ति व्यय रु० **31,80,971.00** अर्जन निकाय से वसूल कर राज्य के निर्धारित लेखा शीर्षक "0029—भू राजस्व—800 अन्य प्राप्तियाँ 007—भूमि अध्याप्ति संबंधी कार्यवाहियों की वसूली 0704 अन्य संस्थाएं" में जमा किया जायेगा।

**पूँजीकृत मूल्य** —अर्जित भूमि में भू—राजस्व 217.25 का 40 गुना रूपया 8,690.00 अध्याप्ति निकाय से वसूल करके राज्य सरकार के निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा किया जाएगा।

अतः मैं सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर सुलतानपुर 5.4226 हे० भूमि का अभिनिर्णय ग्राम—गड़मा काईरीपुर परगना—चांदा व तहसील लम्भुआ, में रु० **3,18,09,714.00** (रु० तीन करोड़, अठ्ठारह लाख, नौ हजार, सात सौ, चौदह मात्र) घोषित करता हूँ। अभिनिर्णीत धनराशि खातावार, गाटावार भू—अर्जन से प्रभावित भू—स्वामियों के नाम पर भूमि अर्जन प्रपत्र—11 में अंकित की जाए।

आज दिनांक ,2015 को अभिनिर्णय घोषित कर पत्रावली में सम्मिलित किया गया है।

(राम विलास)

सक्षम प्राधिकारी/अपर  
उप जिलाधिकारी, सदर  
सुलतानपुर।

## सक्षम प्राधिकारी (अपर उप जिलाधिकारी, सदर) महोदय,

कृपया पत्रावली पर दांयी ओर रक्षित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाई लखनऊ द्वारा भारत सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 56 के 134.700कि०मी० से 178.300 कि०मी० (सुलतानपुर-वाराणसी सेक्शन) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के निर्माण के लिए जनपद-सुलतानपुर के ग्राम-गडमा कोईरीपुर परगना-चांदा व तहसील लम्भुआ में भूमि अधिग्रहण हेतु भू-अर्जन का प्रस्ताव भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (परियोजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, वाराणसी) द्वारा सक्षम प्राधिकारी/अपर उप जिलाधिकारी, सदर, सुलतानपुर को प्राप्त कराया गया है, जिसके संबंध में धारा 3ए एवं 3डी के अन्तर्गत अधिसूचना भारत सरकार के असाधारण गजट में प्रकाशित हुई है। तदोपरान्त दो दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से स्थानीय प्रकाशन कराया गया है। ग्राम में उन्नीस आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसका नियमानुसार निस्तारण किया गया। अंतिम प्रकाशन की तिथि के तीन वर्ष पूर्व के बिक्रय पत्र को उपनिबंधक कार्यालय लम्भुआ क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा अवलोकित किया गया। परन्तु कोई भी बिक्रय बिलेख उपलब्ध नहीं हो पाया। अतः आप द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में प्रतिकर निर्धारण के अनुसार कार्यवाही की गयी है। सर्वेक्षण में अधिग्रहीत भूमि पर वृक्ष, भवन व अन्य परिसम्पत्तियों प्रभावित हो रही अर्जित भूमि में मालगुजारी रू० 217.25 के कमी की स्वीकृति प्राप्त होनी है। अतः दिये गये निर्देश के क्रम में आपकी ओर से अभिनिर्णय आदेश कम्प्यूटरीकृत टंकित कर पत्रावली पर दायीं ओर संलग्न है, कृपया इसका अवलोकन करते हुए, सहमत होने के पश्चात हस्ताक्षर करना चाहें।